



३९०/।।

नव घेतना केन्द्र, १।

## राज्य नगरीय विकास

पत्रांक : २९५४ / ०५ / ७६ / एक / २०१५-१६  
सेवा में,

दिनांक: १९ अक्टूबर २०

जिलाधिकारी/अध्यक्ष,  
जिला नगरीय विकास अभिकरण  
जनपद-लखनऊ।

विषय: वित्तीय वर्ष २०१५-१६ में सूडा द्वारा हूडा को प्रेषित की गयी धनराशि की सूचना का प्रेषण।  
महोदय,

अभिकरण द्वारा वित्तीय वर्ष २०१५-१६ में आपके जनपद को आईएसडीपी योजनान्तर्गत निम्नलिखित विवरण के अनुसार  
धनराशि आनंदित की जा चुकी है।

धनराशि का प्रेषण (लाख रु० में)			
बैंक का नाम	खाता संख्या	आईएसडीपी कोड	धनराशि
एच०डी०एफ०सी० बैंक	50100099245715	IFSC Code HDFC0001112	25.600

जनपद का नाम	अनुदान संख्या	आवास संख्या	प्रश्नगत परियोजनाओं में शासन से प्राप्त धनराशि के सापेक्ष वर्किंग कास्ट/लेबर सेस की धनराशि का प्रेषण		
			वर्किंग कास्ट	लेबर सेस	कुल धनराशि
१	२	३	४	५	६
लखनऊ/ मलिहाबाद	अनु० ३७ पीएलए	८४	२४.४८०	१.१२०	२५.६००
योग			२४.४८०	१.१२०	२५.६००

उपरोक्त अवमुक्त धनराशि का व्यय आईएसडीपी योजनान्तर्गत सम्बन्धित मूल्यवृद्धि की डीपीआर के साथ पठित पीएफएडी तथा  
भारत सरकार के द्वारा जारी स्वीकृतियों में वर्णित मदों पर ही किया जाये जाये जिनके लिये धनराशि स्वीकृत की गयी है। परियोजना की  
डीपीआर में स्वीकृत दरों एवं कार्य की भौतिक प्रगति को दृष्टिगत स्थिते हुये ही कार्यदायी संस्था को तदनुसार धनराशि दी जाये तथा यह  
भी सुनिश्चित कर लिया जाये कि जितनी धनराशि कार्यदायी संस्था को दी गई है, स्थल पर उसके सापेक्ष भौतिक प्रगति भी होनी चाहिए।  
उपरोक्त मद के अतिरिक्त अन्य किसी मद में व्यय करना और दिशा निर्देशों का अनुपालन न करना वित्तीय अनियमितता की श्रेणी में  
आयेगा। किसी भी दशा में कोई व्ययवर्तन अनुमन्य न होगा। आप अवगत हैं कि भारत सरकार द्वारा परियोजना को पूर्ण करने की  
निर्धारित अवधि मार्च २०१५ निर्धारित थी जो व्यतीत हो चुकी है। भारत सरकार को प्रश्नगत परियोजना की कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र एवं  
उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रेषित किये जाने हैं, ऐसी स्थिति में उक्त धनराशि कार्यदायी संस्था को १० दिवस के अन्दर उपलब्ध कराने का  
कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में अग्रेतर कोई भी मूल्यवृद्धि यदि होती है तो उसका उत्तरदायित्व जनपद का होगा। प्रश्नगत धनराशि  
अवमुक्त करने से पूर्व हूडा द्वारा एम०ओ०य० कार्यदायी संस्था से करना होगा जिसमें निम्न बिन्दुओं का उल्लेख किया जाना आवश्यक  
होगा:-

- १- समर्त कार्य मूल्यवृद्धि की डीपीआर के आधार पर प्राथमिकता पर पूर्ण कराने होंगे।
- २- दिसम्बर २०१५ तक प्रत्येक दशा में उपयोगिता प्रमाण पत्र सूडा मुख्यालय को उपलब्ध कराने होंगे।
- ३- इस मूल्यवृद्धि के बाद पुनः किसी प्रकार की मूल्यवृद्धि देय नहीं होगी।
- ४- उपलब्ध स्वीकृत धनराशि से समर्त निर्माण कार्य पूर्ण करने होंगे।
- ५- निर्माणधीन आवास निर्माण पर लाभार्थी अंशदान संशोधित दरों पर हूडा द्वारा कार्यदायी संस्था को उपलब्ध कराया  
जायेगा लाभार्थी अंशदान न उपलब्ध कराये जाने की दशा में उतनी लागत का कार्य कार्यदायी संस्था द्वारा छोड़  
दिया जायेगा जैसाकि पूर्व में निर्देश निर्गत किये गये हैं।
- ६- कार्य पूर्ण होने के उपरान्त केन्द्र/राज्य सरकार के निर्देशानुसार परियोजना की क्लोजर रिपोर्ट अभिकरण मुख्यालय  
को हूडा के माध्यम से उपलब्ध करानी होगी।



२९०/२

दूसराय 2286709  
2286710  
नव चेतना केन्द्र, १० अशोक मार्ग लखनऊ 226001

राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ.प्र.

- 7 सृजित की गई परिसम्पत्तियों का स्थानान्तरण सम्बन्धित नगर निकाय (यूएलओ) को करना होगा और उक्त का प्रमाण पत्र सूडा को उपलब्ध कराना अपरिहार्य होगा।

भवदीय

(लाल प्रताप सिंह)

वित्त नियन्त्रक

पत्रांक एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

1. परियोजना निदेशक, जिला नगरीय विकास अभिकरण, सम्बन्धित जनपद।
2. परियोजना प्रबन्धक, उ०प्र० प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि० सूडा इकाई-लखनऊ।
3. परियोजना अधिकारी-सूडा
4. कम्यूटर सेल/लेखा विभाग-सूडा।

(लाल प्रताप सिंह)

वित्त नियन्त्रक